

## किसान सम्मान निधि योजना पात्रता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है प्रार्थी/प्रार्थिया/श्री/श्रीमति.....पुत्र  
/पत्नि/पुत्री श्री .....निवासी.....तहसील.....  
.....जिला.....के हैं। में खातेदारी भूमि ग्राम .....तहसील.....  
.....जिला.....के राजस्व रिकार्ड खाता सं०.....खसरा सं०.....  
.....रकबा .....में दर्ज है।

प्रार्थी/प्रार्थिया के किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में पात्रता की जांच पटवारी हल्का द्वारा की गई जो निम्न प्रकार है:-

1. प्रार्थी/प्रार्थिया सेवारत/रिटायर्ड अधिकारी, कर्मचारी सरकारी या अर्द्धसरकारी /निगम /बोर्ड का कर्मचारी नहीं है।
2. प्रार्थी/प्रार्थिया द्वारा किसी भी प्रकार की सेवानिवृत्त कार्गिक जिनकी मासिक पेंशन 10 हजार से अधिक प्राप्त नहीं कर रहा/रही है।
3. प्रार्थी/प्रार्थिया आजीविका का मुख्य साधन कृषि ही है।
4. प्रार्थी/प्रार्थिया के अलावा परिवार में कोई भी सदस्य पीएमकिसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है।
5. प्रार्थी /प्रार्थिया भूतपूर्व एवं वर्तमान में मंत्री/राज्यमंत्री एवं भूतपूर्व एवं वर्तमान में लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभा राज्य विधानमण्डल के सदस्य भूतपूर्व एवं वर्तमान में नगरपालिका/नगरपरिषद/निगम क मेयरए भूतपूर्व एवं वर्तमान में जिला प्रमुख रहे है।
6. प्रार्थी/प्रार्थिया द्वारा भूतपूर्व एवं वर्तमान में संवैधानिक पदों को धारित नहीं किया गया है।
7. प्रार्थी/प्रार्थिया द्वारा व्यवसायिक उपाधि यथा डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट की व्यावसायिक संस्थाओं से पजीकृत नहीं है। और ऐसा कोई व्यवसाय भी नहीं कर रहे है।
8. प्रार्थी/प्रार्थिया ने पूर्व में कोई पीएमकिसान योजना के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया है और न ही निरस्त हुआ है।

उपरोक्तानुसार जांच कर ली गई है प्रार्थी/प्रार्थिया योजना के लिए पात्र है।

हस्ताक्षर मोहर

पटवार हल्का.....

हस्ताक्षर मोहर

नायब तहसीलदार/तहसीलदार